

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 118वीं बैठक दिनांक 18.07.2007 का कार्यवाही एजेण्डा।

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	118.1	कार्यकारी समिति की 117 वीं बैठक दिनांक 18.06.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	118.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामचन्द्रपुरा, जिरोता, चक सालिगरामपुरा तथा जयसिंहपुरा बास जिरोता की कुल किता 36 रकबा 75.07 है० भूमि में जविप्रा सेक्टर 37 में आने वाला क्षेत्र आवासीय व मिश्रित भू-उपयोग का भाग तथा शेष भाग का भू-उपयोग पार्क, ओपन स्पेस, प्ले ग्राउन्ड/रिक्रियेशनल से संस्थानिक/व्यावसायिक/आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामचन्द्रपुरा, जिरोता, चक सालिगरामपुरा तथा जयसिंहपुरा बास जिरोता की कुल किता 36 रकबा 75.07 है० भूमि में जविप्रा सेक्टर 37 में आने वाला क्षेत्र आवासीय व मिश्रित भू-उपयोग का भाग तथा शेष भाग का भू-उपयोग पार्क, ओपन स्पेस, प्ले ग्राउन्ड/रिक्रियेशनल से संस्थानिक/व्यावसायिक/आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिये जाने की एस.एल.सी में लिये गये निर्णयानुसार कार्यान्तर स्वीकृति दी गई।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
3	118.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगर डी-के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या डी-9 व डी-26 क्षेत्रफल 1285.90 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यक प्रयोजनार्थ किये जाने संबंध में। (मै. राजपूताना कन्सट्रक्शन प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्किंग की उचित व्यवस्था की जावें, तत्पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
4	118.4	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या ए-85 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या ए-85 के नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
5	118.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम पीपला तहसील सांगानेर के ख.नं. 386, 1014/398, 400/1015, 387/1016, 388/1017, 398/1018, 388/1019, 390/1020, 386/958, 389, 374 कुल किता 11 रकबा 1.01 है० भूमि का भू-उपयोग आवासीय एवं अन्य नगरीय उपयोग से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (ईरा शर्मा पत्नि श्री रमाकान्त शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम पीपला तहसील सांगानेर के ख.नं. 386, 1014/398, 400/1015, 387/1016, 388/1017, 398/1018, 388/1019, 390/1020, 386/958, 389, 374 कुल किता 11 रकबा 1.01 है० में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 1592.14 व.मी. भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 8483.91 व.मी. भूमि का भू-उपयोग आवासीय एवं अन्य नगरीय उपयोग से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
6	118.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा के स्वामित्व की ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 840 रकबा 2.21 है० में से 5000 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 840 रकबा 2.21 है० में से 5000 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
7	118.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा के स्वामित्व की ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के ख.नं. 249, 250, 261, 262, 749, 751, 752, 753, 924, 925 कुल किता 10 कुल रकबा 14.42 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण/रूपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के ख.नं. 249, 250, 261, 262, 749, 751, 752, 753, 924, 925 कुल किता 10 कुल रकबा 14.42 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण/रूपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
8	118.8	जविप्रा क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों में कार्यरत राजकीय विद्यालयों का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों में कार्यरत राजकीय विद्यालयों का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	


क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
9	118.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम भम्मोरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 124 कुल रकबा 0.68 है0 भूमि का भू-उपयोग ग्राामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री वशिष्ठ कुमार शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम भम्मोरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 124 कुल रकबा 0.68 है0 भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 463 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 6337 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्राामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
10	118.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम लूनियावास तहसील सांगानेर के ख.नं. 172/1, 145/1 रकबा 0.23 है0 में से 1296 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने के संबंध में। (रामअवतार शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम लूनियावास तहसील सांगानेर के ख.नं. 172/1, 145/1 रकबा 0.23 है0 में से सेक्टर रोड में निहित होने वाली 538.47 व.मी. एवं प्लांटेशन कोरीडोर में आने वाली 547 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1296 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने का निर्णय लिया गया, एवं आपत्तिकर्ता का रास्ता जैसा पूर्व में जारी है उसे जारी रखा जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-10	
11	118.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजनाओं के मुख्य 100' व उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित छोटे भूखण्डों के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में नितीगत निर्णय लिये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रचलित बिल्डिंग बायलाज के अनुसार परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-6	
12	118.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर की आवेदित भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण संस्थानिक से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मै0 स्पाईटिक बिल्डकान)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 195 व 196 कुल किता 2 रकबा 1.16 है0 में से सेक्टर रोड से प्रभावित होने वाली 957.56 वर्ग गज भूमि को छोड़ते हुये शेष 1431.06 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण संस्थानिक से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
13	118.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जय जवान गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 2 के भूखण्ड संख्या 37 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री धीरेन्द्र हीरावत)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पुर्नगठन बाबत जांच कर आगामी बैठक में पेश किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-4	
14	118.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सुदर्शनपुरा के ख.नं. 42 से 47 के आंशिक भाग क्षेत्रफल 3643.94 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यक किये जाने के संबंध में। (श्री वासुदेव सिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम सुदर्शनपुरा के ख.नं. 42 से 47 के आंशिक भाग क्षेत्रफल 3643.94 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में सब डिवीजन की जांच कर सब डिवीजन शुल्क वसूल किया जावे। प्रकरण आवासीय पट्टा जारी करने बाबत व वाणिज्यक रूपान्तरण किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के परिणाम स्वरूप उपरोक्त निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्रकरण में लिये जाने वाले निर्णय के अध्याधीन होगा।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-5	
15	118.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा उर्म कंवरपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 642/1 रकबा 0.06 है0 अर्थात 600 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्राामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (पवन जैन)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामपुरा उर्म कंवरपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 642/1 रकबा 0.06 है0 अर्थात 600 व.मी. भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 12 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 588 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्राामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
16	118.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर की आवेदित भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से औद्योगिक किये जाने के संबंध में। (मै. स्टोन ऐज प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 190, 198, 199/2 कुल किता 3 रकबा 1.00 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से औद्योगिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ मुद्दा	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
17	118.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा की योजना वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या ई-6 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. रामचन्द्र ज्वैलर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा की योजना वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या ई-6 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही व्यावसायिक मानचित्र का अनुमोदन करते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था के संबंध में फ्रन्ट सैटबैक को बढ़ाया जाकर बैक सैटबैक को कम किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
18	118.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम गोर्धनपुरा तहसील चाकसू के ख.नं. 143, 144, 146, 148, 151, 152, 171 कुल किता 7 रकबा 2.83 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मंन्जु चौधरी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम गोर्धनपुरा तहसील चाकसू के ख.नं. 143, 144, 146, 148, 151, 152, 171 कुल किता 7 रकबा 2.83 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
19	118.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा की योजना वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या एफ 29 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (शान्त कुमार चौहान)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा की योजना वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या एफ 29 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही व्यावसायिक मानचित्र का अनुमोदन करते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था के संबंध में फ्रन्ट सैटबैक को बढ़ाया जाकर बैक सैटबैक को कम किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
20	118.20	Shifting/dismantling of existing HT/LT lines by laying underground cables from Bhawani Niketen to C-Zone bypass, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जोनल अभियन्ता विद्युत द्वितीय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार जी स्डुयल की दर 8 प्रतिशत कम (Below) मैसर्स एम.एम. ब्रदर्स की स्वीकृति दी गई।	Zonel Engineer (Elect.II)	
21	118.21	भूखण्ड संख्या 81, रोहिणी नगर-प्रथम योजना का नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-प्रथम में भूखण्ड संख्या 81 का नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
22	118.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नम्बर 6473 रकबा 800 वर्गमीटर अर्थात् 932.57 वर्गगज में से आवेदक द्वारा उपान्तरण हेतु प्रस्तुत 675.65 वर्गगज में से 256.92 वर्गगज भूमि सेक्टर प्लान की सडक में निहित होने वाली को छोड़ने के पश्चात् शेष 418.73 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण सरकारी एवं अर्द्धसरकारी से वाणिज्यिक (दुकानें) किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री मणिकान्त शर्मा, विशाल चौधरी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नम्बर 6473 रकबा 800 वर्गमीटर अर्थात् 932.57 वर्गगज में से आवेदक द्वारा उपान्तरण हेतु प्रस्तुत 675.65 वर्गगज में से 256.92 वर्गगज भूमि सेक्टर प्लान की सडक में निहित होने वाली भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 418.73 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण सरकारी एवं अर्द्धसरकारी से वाणिज्यिक (दुकानें) किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
23	118.23	जविप्रा क्षेत्र में स्थित किसान को-ऑपरेटिव सोसायटी की योजना ईन्कम टैक्स कॉलोनी के भूखण्ड सं. के-7 क्षेत्रफल 355.55 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री अशोक राज सिंघवी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राईट आफ वे में किये गये अवैध निर्माण को हटाकर एवं 88.88 वर्ग गज भूमि सडक जविप्रा को निःशुल्क समर्पित कराकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-4	
24	118.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम महापुरा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 612, 706, 707, 708, 721 से 726, 1028, 612/1710, 724/1, 725/1, 726/1 कुल किता 15 रकबा 7.99 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (ओ.के.प्लस लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम महापुरा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 612, 706, 707, 708, 721 से 726, 1028, 612/1710, 724/1, 725/1, 726/1 कुल किता 15 रकबा 7.99 हेक्टेयर भूमि में से सडक सीमा से प्रभावित 2112 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 77788 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

क्र.स.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
25	118.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम महापुरा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 1437 से 1441, 1436/1745/1839 कुल किता 6 कुल रकबा 2.30 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। (रिवा लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम महापुरा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 1437 से 1441, 1436/1745/1839 कुल किता 6 कुल रकबा 2.30 हेक्टेयर भूमि में से रिंग रोड से प्रभावित 4456 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 18544 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
26	118.26	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम गौनेर तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 2941 से 2946 किता 6 रकबा 4.25 हेक्टेयर अर्थात् 42500 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती बसन्ती देवी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम गौनेर तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 2941 से 2946 किता 6 रकबा 4.25 हेक्टेयर भूमि में से रिंग रोड अवाप्ति से शेष बची भूमि 1.61 है 0 भूमि में से रिंग रोड से लगती 30' सडक में आने वाली 1053.70 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 15046.30 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
27	118.27	Agenda Regarding Approval of counter offer and so also tender for work of Tender for the work of P/L/J of the lateral sewer line Siddarth nagar and Airport area with construction of pre-cast manholes Jaipur Pck-02	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता (पी.एच.ई- प्रथम) के प्रस्तावानुसार मैसर्स वृद्धावन कन्स्ट्रक्शन की दर पार्ट ए 24.50 प्रतिशत से अधिक (Above) एवं पार्ट बी 15 प्रतिशत से अधिक (Above) कुल राशि रुपये 4,06,12,238.35 को स्वीकृत किया गया।	Zonal Engineer (PHE-1)	
28	118.28	Agenda Regarding Approval of counter offer and so also Rate Contract for work of P/L/J of lateral sewer line in JDA Jurisdiction Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता (पी.एच.ई- प्रथम) के प्रस्तावानुसार मैसर्स वृद्धावन कन्स्ट्रक्शन की दर पार्ट ए 24.90 प्रतिशत से अधिक (Above) एवं पार्ट बी 19 प्रतिशत से अधिक (Above) कुल राशि रुपये 2,49,29,767.12 को स्वीकृत किया गया।	Zonal Engineer (PHE-1)	
29	118.29	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम हरध्यानपुरा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 103 से 105 कुल किता 3 रकबा 4.81 हेक्टेयर अर्थात् 48100 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती पार्वती, पवन लश्करी, मुरारीलाल लश्करी, वगैरह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम हरध्यानपुरा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 103 से 105 कुल किता 3 रकबा 4.81 हेक्टेयर अर्थात् 48100 वर्गमीटर भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं आन्तरिक सडक की 5493 वर्ग मी. एवं प्लांटेशन कोरीडोर की 2520 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 40087 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
30	118.30	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कूकस तहसील आमेर के खसरा नम्बर 507/2325, 508, 544, 444/2326, 484, 487, 490, 491, 492, 499, 500, 501/2328, 504, 510, 511, 549/2331, 550, 485, 488, 496, 497, 498, 499/2493, 501, 501/2329, 503, 509, 513, 545, 546/2181, 549, 486, 489, 492/2327, 493, 494, 495, 502, 505, 506, 507, 512, 547, 550/2330 व 546 कुल किता 45 कुल रकबा 7.47 हेक्टेयर अर्थात् 74700 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री अभिषेक मीणा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम कूकस तहसील आमेर के खसरा नम्बर 507/2325, 508, 544, 444/2326, 484, 487, 490, 491, 492, 499, 500, 501/2328, 504, 510, 511, 549/2331, 550, 485, 488, 496, 497, 498, 499/2493, 501, 501/2329, 503, 509, 513, 545, 546/2181, 549, 486, 489, 492/2327, 493, 494, 495, 502, 505, 506, 507, 512, 547, 550/2330 व 546 कुल किता 45 कुल रकबा 7.47 हेक्टेयर में से सडक सीमा में आ रही 290.30 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 70057.7 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	

क्र.स.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
31	118.31	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा की योजना व. श्री नगर के भूखण्ड सं. सी-18 क्षेत्रफल 400 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री जुगल किशोर फतेहपुरिया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा की योजना वैशाली नगर के भूखण्ड सं. सी-18 क्षेत्रफल 400 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही व्यावसायिक मानचित्र का अनुमोदन करते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था के संबंध में प्रन्ट सैटबैक को बढ़ाया जाकर बैक सैटबैक को कम किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
32	118.32	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बीलवा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 20, 2246/20, कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हेक्टेयर अर्थात् 22400 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। (राजेन्द्र बरडिया श्री गौरव बरडिया जयपुर)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की भूखण्ड 40 फीट रोड पर स्थित होने से निजी आवासीय की प्लानिंग पेश कराकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
33	118.33	जविप्रा क्षेत्र में स्थित तहसील साँगानेर के राजस्व ग्राम श्योपुर के गत खसरा नम्बर 510 से बने हाल खसरा नम्बर 1548 कुल किता 1 कुल रकबा 8.20 हेक्टेयर भूमि में से 19307.5 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग श्मशान से संस्थानिक उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (राजस्थान आवासन मंडल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर श्मशान नहीं है तथा पास में ही श्मशान हेतु भूमि उपलब्ध है। अतः राजस्व ग्राम श्योपुर के गत खसरा नम्बर 510 से बने हाल खसरा नम्बर 1548 कुल किता 1 कुल रकबा 8.20 हेक्टेयर भूमि में से 19307.5 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग श्मशान से संस्थानिक उपान्तरण किये जाने की कार्यत्तर स्वीकृति दी गई।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
34	118.34	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम माचेडा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 919, 921, 922, 923/1148 कुल रकबा 1.49 हेक्टेयर में से 0.4348 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग स्पेशलाइज्ड मार्केट से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के सम्बन्ध में। (मैसर्स विनायक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम माचेडा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 919, 921, 922, 923/1148 कुल रकबा 1.49 हेक्टेयर में से 0.4348 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग स्पेशलाइज्ड मार्केट से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-6	
35	118.35	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नेवटा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 994, 995, 996, 1007, 1008 कुल किता 5 रकबा 2.36 हेक्टेयर अर्थात् 23600 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री रामसहाय पुत्र श्री रघुनाथ)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नेवटा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 994, 995, 996, 1007, 1008 कुल किता 5 रकबा 2.36 हेक्टेयर अर्थात् 23600 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
36	118.36	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित न्यू पिकसिटी गृ.नि.स.समिति की योजना श्याम नगर के भूखण्ड सं. बी-39 ए क्षेत्रफल 1059.10 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती राधा देवी जैन व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। आवेदित भूखण्ड निर्मित होने के कारण व्यावसायिक के हिसाब से उपायुक्त, डिटीपी एवं प्रवर्तन अधिकारी जोन द्वारा जांच कर प्रकरण पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-5	
37	118.37	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम अन्नतपुरा तहसील चौमू के खसरा नम्बर 1873 से 1887 कुल किता 15 रकबा 18.20 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम अन्नतपुरा तहसील चौमू के खसरा नम्बर 1873 से 1887 कुल किता 15 रकबा 18.20 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
38	118.38	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बगरूखुर्द तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 70, 90, 91, 105 से 108, 108/975, 109, 111, 112, 114, 117, 120, 121, 143, 144, 145 कुल किता 18 कुल रकबा 3.80 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (मैसर्स सिद्धा पी.एस.आई.डी.एल. टाउनशिप प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम बगरूखुर्द तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 70, 90, 91, 105 से 108, 108/975, 109, 111, 112, 114, 117, 120, 121, 143, 144, 145 कुल किता 18 कुल रकबा 3.80 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / मुद्दा	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
45	118.45	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 1100, 1101, 1109 कुल किता 3 रकबा 0.94 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ करने के संबंध में। (विजता बिल्डकॉन प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 1100, 1101, 1109 कुल किता 3 रकबा 0.94 है० में से सड़क सीमा में आने वाली 1581 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 7819 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व. ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
46	118.46	Approval of Bid document for the work of construction of BRTS Corridor.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से CE (BRTS) के प्रस्तावानुसार प्रकरण का अनुमोदन किया गया।	CE (BRTS)	
47	118.47	श्री इन्द्रराज सिंह, उप निदेशक (व्यय एवं बजट) की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री इन्द्रराज सिंह, उप निदेशक (व्यय एवं बजट) की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 26.07.07 तक बढ़ायी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगर इस बीच में राज्य सरकार द्वारा इस पद पर अन्य कोई पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जाता है तो प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त मानी जावेगी। नियमानुसार 4 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
48	118.48	प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों की 'निविदा आमन्त्रण' का समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु स्वीकृत विज्ञापन नीति एवं PWF & AR के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार प्रकरण का अनुमोदन किया गया।	निदेशक (वित्त)	
49	118.49	श्री प्रमोद कुमार सिंघल, क. लेखाकार की प्रतिनियुक्ति की अवधि एक वर्ष बढ़ाये जाने के क्रम में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री प्रमोद कुमार सिंघल, क. लेखाकार की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 13.07.08 तक बढ़ायी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियमानुसार 4 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।	लेखाधिकारी (भुगतान)	

  
सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर